नईदुनिया

दुबई दौरे में मध्यप्रदेश को मिले 53 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 6 से 8 सितंबर तक का दुबई दौरा मध्यप्रदेश की निवेश रणनीति के लिए महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ने दुबई में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश को वैश्विक निवेश और विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस दौरान मध्यप्रदेश को 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश के साथ तकनीक, बाजार, निर्यात और रोजगार को जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने वैश्विक कंपनियों और निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया।

दुबई प्रवास के दौरान यूएई के मंत्रियों, तातारस्तान के नेतृत्व, विश्व बैंक और कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं। इनमें लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी, फार्मा, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए 25 से अधिक नई नीतियां बनाई गई हैं और 2700 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र में 1.10 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत हैं और वर्ष 2026-27 में 76 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात का लक्ष्य है।

दुबई की कंपनियों के साथ हुई चर्चाओं में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, शिक्षा, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी और कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं सामने आईं। डीपी वर्ल्ड के साथ पवारखेड़ा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जेम्स एजुकेशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल और कौशल विकास केंद्र स्थापित करने में रुचि दिखाई।

यूएई प्रतिनिधिमंडल मध्यप्रदेश में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। विश्व बैंक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की भूमि, बिजली, जल संसाधन, हरित ऊर्जा, औद्योगिक केंद्रों और बेहतर कनेक्टिविटी को निवेश की ताकत बताया। उन्होंने चंदेरी, महेश्वरी, बाटिक, जरी-जरदोजी और अन्य स्थानीय उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग पर भी जोर दिया।

दौरे के दौरान वैश्विक निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए पारदर्शी नीतियों, सिंगल विंडो व्यवस्था और समयबद्ध सहयोग के साथ भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है।

रायसेन में मूंग उपार्जन घोटाला

सस्ती मूंग समर्थन मूल्य पर बेचने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामले में रंजीत ठाकुर, श्रीराम ठाकुर और गौरव ठाकुर सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने 8 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 95/2026 दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ऐसे किसानों की जमीन का फर्जी पंजीयन कराया, जिन्होंने उपार्जन समितियों में मूंग बेचने के लिए पंजीयन नहीं कराया था। आरोप है कि उपार्जन केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों से मिली जानकारी के आधार पर किसानों की जमीन का पंजीयन अपने या परिचितों के नाम पर कराया गया।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, पंजीयन पर्ची में जमीन मालिक या कौलीदार के नाम के स्थान पर आरोपियों ने खुद को सिकमीदार यानी बटाईदार दर्ज कर दिया। इसके लिए संबंधित किसानों से कोई कौलीनामा या सहमति नहीं ली गई। किसानों को उनकी जमीन पर हुए फर्जी पंजीयन और मूंग बिक्री की जानकारी भी नहीं थी जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने स्थानीय व्यापारियों और बरेली मंडी से घटिया किस्म की मूंग 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल से कम कीमत पर खरीदी और उसे सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर बेच दिया। वर्ष 2024-25 में मूंग का समर्थन मूल्य 8558 रुपये और वर्ष 2025-26 में 8682 रुपये प्रति क्विंटल था। श्रीराम ठाकुर ने दो पंजीयन के माध्यम से 151.524 क्विंटल मूंग बेचकर शासन से 13.15 लाख रुपये प्राप्त किए। इससे उसे करीब 8.60 लाख रुपये का अनुचित लाभ होने का आरोप है। रंजीत ठाकुर और गौरव ठाकुर पर भी अनुचित लाभ लेने के आरोप हैं। तीनों मामलों में शासन को करीब 13.35 लाख रुपये की आर्थिक क्षति बताई गई है। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

मास्टर प्लान लागू कराने के लिए मैराथन

विधायक आरिफ मसूद बोले- उज्जैन का मास्टर प्लान आ सकता है तो भोपाल का क्यों नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुधवार को भोपाल का मास्टर प्लान जल्द लागू कराने की मांग को लेकर 'रन-4 मास्टर प्लान' दौड़ आयोजित की। 11 नंबर बस स्टॉप से शुरू हुई मैराथन में युवा, महिलाएं, छात्र, व्यापारी और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने दौड़ के माध्यम से मास्टर प्लान तत्काल लागू करने की मांग उठाई।

आरिफ मसूद ने कहा कि भोपाल का मास्टर प्लान पिछले दो दशक से अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रदेश में अलग-अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब उज्जैन का मास्टर प्लान लागू हो सकता है तो भोपाल का क्यों नहीं। उन्होंने सरकार पर भोपाल के साथ दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।

मसूद ने कहा कि मास्टर प्लान नहीं होने से व्यापारियों और आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की जनता और व्यापारी इससे प्रभावित हैं। उन्होंने जल्द मास्टर प्लान लागू करने की मांग की। दौड़ में स्पाइडर-मैन का मुखौटा पहनकर एक युवक भी शामिल हुआ। उसने बताया कि भोपाल के भविष्य के लिए मास्टर प्लान जरूरी है। इसके लागू नहीं होने से यातायात और आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है।

विधायक ने अरेरा कॉलोनी और आई-2 से आई-8 क्षेत्र में सीवेज लाइन और अन्य निर्माण कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत तत्काल कराने की मांग की।

कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा धरना स्थल से हिरासत में लिए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को भोपाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे थे। रातीबड़ पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से उठाया। विधायक करीब आधे घंटे तक ही धरने पर बैठ पाए थे।

अभय मिश्रा रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मारक अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उनके नवजात बच्चे की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग भी की। कल्पना मिश्रा की मौत 26 अगस्त की रात उपचार के दौरान हुई थी। वह प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थीं। उपचार के दौरान उनकी और नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे। हालांकि मौत की वास्तविक वजह और चिकित्सा लापरवाही की जिम्मेदारी जांच के बाद तय होगी।

धरने के दौरान अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल में हुई घटना जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कल्पना मिश्रा के पिता दाह संस्कार और क्रियाकर्म के बाद भी धरने पर बैठे हैं। विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जरूरत है। उन्होंने राजेंद्र शुक्ल से जुड़े कुछ मामलों की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में करने की बात भी कही।

जहरीली शराब कांड के बाद अवैध शराब पर विशेष अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मध्यप्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग की कार्रवाई में 6 से 8 सितंबर के बीच प्रदेशभर में 1554 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान 12,107 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 974 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

तीन दिन में 1554 प्रकरण दर्ज, 12,107 लीटर शराब जब्त 974 आरोपियों पर कार्रवाई

आबकारी विभाग के अनुसार 8 सितंबर को 554 प्रकरण दर्ज कर 4282 लीटर शराब जब्त की गई। इस दिन 338 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के निर्देश पर जिलों में अभियान चलाया गया। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 50 लीटर से कम शराब के अवैध निर्माण, परिवहन, कब्जे और बिक्री के मामलों में कार्रवाई होती है। तीन दिन में इस धारा के तहत 1536 प्रकरण दर्ज किए गए। सागर जिले में 6 से 8 सितंबर के बीच आठ प्रकरण दर्ज हुए और 118 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इन मामलों में छह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 6 सितंबर को कोई कार्रवाई दर्ज नहीं हुई, जबकि 7 सितंबर को सात प्रकरणों में 101 लीटर और 8 सितंबर को एक प्रकरण में 17 लीटर शराब जब्त की गई।

फिटनेस 365 डिग्री के संचालक ने जमा किए 50 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में फिटनेस 365 डिग्री के पांच केंद्रों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग की कार्रवाई के बाद जिम संचालक हुजेफा कुरैशी ने कर चोरी के 50 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। विभाग की जांच में अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी सामने आ चुकी है। अधिकारियों की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है।

केंद्रीय जीएसटी की टीम ने सोमवार से फिटनेस 365 डिग्री के केंद्रों पर जांच शुरू की थी। कार्रवाई मंगलवार तक चली। जांच पूरी नहीं होने के कारण सोमवार और मंगलवार की रात पांचों केंद्रों को सील रखा गया था। कार्रवाई पूरी होने के बाद सभी केंद्र खोल दिए गए हैं।

जांच के दौरान सामने आया कि जिम केंद्रों में ग्राहकों को बिल जारी नहीं किए जा रहे थे। इसी माध्यम से कर चोरी किए जाने की बात सामने आई। हुजेफा कुरैशी के चूनाभट्टी, कोहेफिजा, बावड़िया कलां, सिंधी कॉलोनी और जेके रोड में पांच प्रतिष्ठान हैं।

अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2025 में जीएसटी नियमों में बदलाव के बाद कर क्रेडिट की व्यवस्था बंद कर दी गई है। इसके बाद ऐसी संस्थाओं के लिए पांच प्रतिशत कर देने का प्रावधान है। आरोप है कि जिम संचालक ने यह कर जमा नहीं किया। इससे पहले ऐसे प्रतिष्ठानों से 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जाता था। आगे की कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी केंद्र खोल दिए गए।

गेम डेवलपमेंट प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में उभरती गेम डेवलपमेंट प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें उद्योग से जोड़ने के लिए 'एमपी गेम उड़ान' का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यह आयोजन होगा। इसमें भागीदारी निशुल्क रहेगी। विद्यार्थी और पहली बार गेम डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाले युवा भी इसमें भाग ले सकेंगे।

'एमपी गेम उड़ान' का आयोजन भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक किया जाएगा। विद्यार्थी, गेम डेवलपर बनने के इच्छुक युवा, प्रोग्रामर, कलाकार, डिजाइनर और कहानीकार इसमें शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के रचनाकारों के लिए ऑनलाइन भागीदारी का विकल्प भी रहेगा। पंजीयन इंडी कनेक्ट पर उपलब्ध 'एमपी गेम उड़ान' पेज के माध्यम से किया जा सकेगा। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन ने कहा कि प्रदेश में युवा और तकनीक आधारित प्रतिभाओं का बड़ा समूह है। इस पहल का उद्देश्य उन्हें प्रयोग, नवाचार और उभरते उद्योगों के लिए निर्माण का अवसर देना है। गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन श्रीधर मुप्पिडी ने कहा कि सही ज्ञान, समुदाय और अवसर मिलने पर प्रतिभाएं कहीं से भी बेहतर गेम तैयार कर सकती हैं। प्रतिभागी व्यक्तिगत या टीम के रूप में पीसी, मोबाइल और वेब के लिए गेम बना सकेंगे।

भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक होगा तीन दिवसीय गेम जैम

आंगनवाड़ी को समाज से जोड़कर पोषण अभियान को जनआंदोलन बनाने पर जोर

इंदौर से शुरू हुआ 9वां राष्ट्रीय पोषण माह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का राज्य स्तरीय शुभारंभ बुधवार को इंदौर से हुआ। 'हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी' थीम पर चलने वाला यह अभियान 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि पोषण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनाना जरूरी है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को अभिभावकों, सरपंचों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों और सामाजिक संस्थाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए प्रयोग करने तथा सफल नवाचारों को साझा करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए चार संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए गए। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, एम्स, आईपीई ग्लोबल और नई दिशा फाउंडेशन के साथ हुए समझौतों से आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। पोषण माह के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की शारीरिक माप, पोषण जागरूकता, रेसिपी प्रदर्शन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी। पोषण मेले में स्थानीय अनाज, दालों, दूध, मिलेट्स और मौसमी सब्जियों से तैयार पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन भी किया गया।

प्रदेश को मिली रेल परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री ने जताया आभार

नप्र, भोपाल : आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों के लिए तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 10,783 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से 656 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन और बिलासपुर-उसलापुर-पेंड्रा रोड तीसरी रेल लाइन से रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा यात्री और माल परिवहन क्षमता बढ़ेगी।

उदय प्रताप ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्तुत समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विभागीय कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री राजेंद्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

एमपी में 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी, जो 6 अक्टूबर तक चलेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को प्रदेश के 55 जिलों में अपनी पसंद की यूनिट का चयन करना होगा। जिस यूनिट में नियुक्ति मिलेगी, वहां कम से कम पांच साल तक सेवा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही दूसरी यूनिट में स्थानांतरण किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में आरक्षक (एसएएफ को छोड़कर) या आरक्षक विशेष सशस्त्र बल पद के लिए आवेदन की जानकारी देनी होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शासकीय रेल पुलिस इंदौर, जबलपुर और भोपाल में भी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन होगा।

टीईटी परीक्षा पूर्व नियम स्पष्ट करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तैयारियों के बीच सेवारत शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से नियमों को स्पष्ट करने की मांग की है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि विभाग यह बताए कि वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति मिलने के बाद आठ साल बाद टीईटी की अनिवार्यता किस आधार पर लागू की जा रही है।

शिक्षकों के अनुसार प्रदेश में नियुक्तियां अलग-अलग चरणों, संवर्गों और पंचायत व नगरीय निकायों के माध्यम से हुई हैं। कई नियुक्तियां न्यायालय के आदेशों के तहत हुई थीं और वर्ष 2008 में अध्यापकों का संविलियन किया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत गठित राज्य शिक्षा सेवा में इन्हें उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के पद दिए गए।

- शिक्षक संगठनों ने वर्षवार और संवर्गवार छूट की सूची जारी करने की मांग की
- नियुक्तियां अलग-अलग चरणों, संवर्गों और पंचायत व नगरीय निकायों के माध्यम से हुई

शिक्षक संगठनों ने विभाग से मांग की है कि वर्षवार और संवर्गवार सूची जारी कर बताया जाए कि किन शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है और किन्हें छूट दी गई है। साथ ही 2009-10 से पहले नियुक्त शिक्षकों और न्यायालय के आदेश से नियुक्त अध्यापकों की स्थिति भी स्पष्ट करने की मांग की गई है।

संशोधन — *नकली मुद्रा, फर्जी दस्तावेज और सरकारी मुहर से जुड़े मामलों में होगी कार्रवाई...*

प्रदेश में बीएनएस की 37 धाराएं कानूनी कार्रवाई के दायरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की 37 धाराओं को कानूनी कार्रवाई के दायरे में शामिल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए गृह विभाग से संबंधित 49 साल पुराने कानून में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की है। अब गृह विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इन धाराओं के तहत संबंधित मामलों में कार्रवाई कर सकेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बीएनएस की लागू की गई धाराओं में आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी कार्य में बाधा, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी की संपत्ति, धार्मिक भावनाओं से जुड़े अपराध और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले अपराध शामिल हैं।

नई व्यवस्था के तहत नकली नोट, नकली सिक्के और फर्जी सरकारी स्टांप से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ आपत्तिजनक या भ्रामक दावे करने वाले मामलों को भी इसके दायरे में रखा गया है।

अधिसूचना में अपराधियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने या उन्हें बचाने के बदले लाभ लेने जैसे मामलों को भी शामिल किया गया है। न्यासभंग, चोरी की संपत्ति, धोखाधड़ी और पहचान बदलकर धोखा देने से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। फर्जी दस्तावेज तैयार करने, नकली मुहर के इस्तेमाल और खातों में हेराफेरी जैसे मामलों पर भी अब बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। झूठी सूचना फैलाने और अफवाहों से सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था प्रभावित करने वाले मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

इस संशोधन के बाद फर्जी दस्तावेज, नकली मुद्रा, आर्थिक धोखाधड़ी, सरकारी मुहर के दुरुपयोग और अफवाह फैलाने जैसे मामलों में प्रदेश के अधिकारी बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकेंगे।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1,भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01, e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, www.naiduniaonline.com